ए-12011/03/2020-स्था। (भाग-I)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली-110001,
दिनांक 02 नवंबर, 2022

रिक्ति परिपत्र

विषय:- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में दो परामर्शदाताओं (एक बजट अनुभाग के लिए और एक आईएफडी के लिए) की नियुक्ति के संबंध में।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय संविदा के आधार पर दो परामर्शदाताओं (एक बजट प्रभाग के लिए और एक आंतरिक वित्त प्रभाग के लिए) को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुभाग अधिकारी /अवर सचिव/लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति की अवधि आरंभ में नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी। इस परिपत्र के अनुबंध-I में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन, यदि अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो इसे एक बार में एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपने आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप (अनुबंध-I) में सहायक दस्तावेजों के साथ ईमेल के माध्यम से prabha.s72@gov.in और satish.kumar70@nic.in मेल आई डी पर जमा कर सकते हैं। कार्यभार ग्रहण करने के समय सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज की आवश्यकता होगी। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। पात्रता मानदंड और नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें अनुबंध-I में दी गई हैं।

(प्रभा शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23465890

अनुबंध-I

<u>परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए शर्तें</u>

1.	पद का नाम	परामर्शदाता
2.	पदों की संख्या	**दो**
3.	पात्रता मानदंड और कार्यक्षेत्र/कार्य दायित्व	क.अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखाकार/वारिष्ठ लेखाकार स्तर का एक पद **पात्रता मानदंड** - अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिसे सरकारी संगठन में लेखा और बजट तथा संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो और एमएस-एक्सेल में कार्य करने में कुशल हो। **कार्य क्षेत्र /जॉब का दायित्व :** • एमएसडीई का बजट (बीई, आरई, एफई) तैयार करना • अनुदान की विस्तृत मांग तैयार करना • बजटीय प्रक्रिया से संबंधित अन्य कार्य जैसे बचत टिप्पणी तैयार करना, विनियोग लेखा आदि। ख. अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव स्तर का एक। पद पात्रता मानदंड - अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिसे केन्द्रीय मंत्रालय में वित्तीय कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। **कार्य का क्षेत्र /जॉब का दायित्व:** • संविदा या स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव की जांच, • ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावों का विश्लेषण, • ईओआई/आरएफपी/बोली दस्तावेज की जांच,

Ym

		• संविदा की जांच, • जीएफआर के दिशानिर्देशों के अनुसार एफए की सहमति से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की जांच, • जीएफआर और खरीद प्रक्रिया की पूरी जानकारी, • निधि जारी करने के लिए व्यय विभाग के विभिन्न मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता, • एमएस ऑफिस का ज्ञान।
4.	नियुक्ति की अवधि	संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी।
5.	संविदा अवधि का विस्तार	एमएसडीई के लिए उपर्युक्त पद पर नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे नियुक्त व्यक्ति के संतोषजनक कार्य और उसकी सेवाओं की आवश्यकता के अध्यधीन एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परामर्शदाताओं के कार्य की साल के अंत मे समीक्षा की जाएगी और कार्य के आधार पर उनकी संविदा को बढ़ाया या समाप्त किया जाएगा (जैसा भी मामला हो)। इस संबंध में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।
6.	आयु-सीमा	पद के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार)। हालांकि, नियुक्ति के कार्यकाल के विस्तार के लिए आयु सीमा 65 वर्ष होगी। संविदा को 65 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष तक जारी रखने के लिए परामर्शदाता की स्वास्थ्य स्थिति, उसकी सेवाओं की अनिवार्यता और उसकी विशेषज्ञता के स्तर को ध्यान में रखते हुए सचिव एमएसडीई के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
7.	पारिश्रमिक (प्रतिमाह)	एक निश्चित मासिक राशि वेतन के रूप में देय होगी, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन से पेंशन को घटाकर की जाएगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि संविदा की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। संविदा अवधि के

yhi

		दौरान कोई वार्षिक वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं देय होगी।
8.	नियुक्ति की अन्य शर्तें	1. परामर्शदाता नीचे दिए गए पैरा 9 में वर्णित परिवहन भत्ते को छोड़कर किसी भी अन्य मासिक भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, वाहन भत्ता, एचआरए आदि का हकदार नहीं होगा। तथापि, यदि परामर्शदाता को कार्य/असाइनमेंट के संबंध में दिल्ली से बाहर यात्रा करना आवश्यक है, तो मंत्रालय समूह क राजपत्रित अधिकारी पर लागू केंद्र सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार यात्रा की वास्तविक लागत और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा। 2. परामर्शदाता किसी भी अन्य सुविधाओं जैसे आवासीय टेलीफोन, आवास, सीजीएचएस और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत सहायक स्टाफ, परिवहन सुविधाओं आदि के लिए पात्र नहीं होगा। 3. परामर्शदाता सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होगा जिसे एक कैलेंडर वर्ष के बाद जमा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एक वर्ष में अप्रयुक्त छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। 4. परामर्शदाता को एमएसडीई द्वारा उसे सौंपे गए सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। 5. मौजूदा नियमों के अनुसार आयकर या कोई अन्य कर पारिश्रमिक भुगतान करने से पहले स्रोत से काटा जाएगा जिसके लिए एमएसडीई टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। 6. परामर्शदाता किसी भी मामले में, एमएसडीई के साथ अपने कार्य की अवधि के दौरान अदालत में या किसी अन्य प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल आदि में काम या प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या एमएसडीई के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में राय, सलाह नहीं देगा। इसके अलावा, किसी भी मामले में, परामर्शदाता किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई कार्य या आचरण नहीं करेगा या एमएसडीई को कोई सलाह नहीं देगा जो एमएसडीई के हित के

		प्रतिकूल हो।
		7. निम्नलिखित स्थितियों में परामर्शदाता का अनुबंध एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है:
		• यदि परामर्शदाता सौंपे गए कार्य को करने में असमर्थ है,
		• सौंपे गए कार्य की गुणवत्ता एमएसडीई की अपेक्षा के अनुरूप संतोषजक नहीं है,
		• यदि परामर्शदाता उचित प्राधिकार के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है।
		8. यदि मंत्रालय संविदा अवधि के अंत में परामर्शदाता की संविदा को नवीकृत नहीं करता है, तो नोटिस अवधि लागू नहीं होगी।
		9. तथापि, एमएसडीई के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सिद्ध कदाचार के आधार पर बिना किसी पारिश्रमिक या नोटिस की अवधि के, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए या जो भी लागू हो, तत्काल प्रभाव से संविदा को समाप्त कर सकता है।
		10. अन्य आधारों पर परामर्शदाता को 30 दिनों की लिखित सूचना द्वारा सेवा समाप्ति, सेवा समाप्ति से पहले अर्जित किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभावी होगी।
		11. परामर्शदाता यदि कार्य छोड़ने का विकल्प चुनता है तो उसे एमएसडीई को एक महीने का नोटिस देना होगा जिसके लिए मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे कार्यमुक्त करने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होगी ।
		12. संविदा की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों के लिए क्षेत्राधिकार, केवल दिल्ली न्यायालयों में होगा।
		13. कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान एमएसडीई से जुड़ी बातों को एमएसडीई के अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समय साझा नहीं करेगा, चाहे वह इस तरह की नियुक्ति के दौरान हो या उसके बाद हो। इसके अलावा, परामर्शदाता

		एमएसडीई से संबंधित मामले में या एमएसडीई/केंद्र सरकार के हितों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व या सलाह या काम परामर्शदाता के पद से समाप्ति या अवमुक्ति की तारीख से 2 साल तक नहीं करेगा ।
9.	परिवहन भत्ता	निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उपयुक्त और निश्चित राशि, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति के लिए लागू दर से अधिक नहीं होगी, दी जाएगी। इस प्रकार नियत की गई राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, परामर्शदाता के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार आधिकारिक दौरे के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की अनुमति दी जा सकती है। परामर्शदाता को सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10.	चयन प्रक्रिया	केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए या डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के समय, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपने जीवन-वृत्त और प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
11.	उपस्थिति और कार्य घंटे	परामर्शदाता के काम के घंटे वही होंगे जो मंत्रालय में कार्यरत नियमित सरकारी कर्मचारी के लिए हैं। कार्यालय समय के बाद या शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिन कार्य करने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति अवकाश सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर होगा।
12.	गोपनीयता और सत्यनिष्ठा	एमएसडीई में नियुक्ति की अवधि के दौरान, परामर्शदाता को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा

ym

		और वह अपने कार्य की अवधि के दौरान एकत्र की गई किसी भी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताएगा जो इसे जानने के लिए अधिकृत नहीं है। .

अपना हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए आवेदन पत्र:

(टिप्पणी: कृपया विवरण टाइप करें):

1.नाम:____

2.पिता का नाम ....

3. जन्म तिथि:................................

4. अधिवास...........................

5. राष्ट्रीयता: __________________________

6. पत्र-व्यवहार के लिए डाक का पता:..............................

....

7. ई-मेल:.........

8. मोबाइल: ______________________________

9. शैक्षिक योग्यता:________________________

10. पिछले दस वर्षों की सेवा के दौरान सरकार में धारित पद:

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग के नाम सहित पद का नाम एवं पदधारण का स्थान	वेतन मान	से	तक	निष्पादित कार्य की प्रकृति

11. कौशल/प्रशिक्षण:

12. उक्त पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में कोई अन्य विशेष जानकारी, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ का उपयोग करें)।

13. कृपया पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की एक प्रति संलग्न करें ।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक: